

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 04/2015 से 03/2016
भाग-एक**

1 (क) प्रस्तावना:-

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच०एस०जी०-4 (डी) 1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्रम संख्या	अधिशाषी अभियन्ता का नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार त्रिवेदी	01.04.15 से 30.09.15
2	श्री बलबंत सिंह प्रार्थी	01.10.15 से 31.03.16

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण:-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	5	393.78
2	संविदाकारों को दिये गए सुरक्षित अग्रिमों की वसूली न करना	6	14.99
3	स्टाफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	7	0.34
4	मण्डल के वाहन संख्या HP-07-C-0030 की लॉग बुक में 47 लीटर डीजल की कम मात्रा लेने बारे	9	-

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट “क” में दर्शाई गई है।

वर्ष 2004-05 से 2014-15 तक मण्डल से संबन्धित अनिर्णीत शेष पैरों का वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	2004-05	1	
2	2005-06	2	
3	2006-07	1	
4	2007-08	3	
5	2011-12	1	
6	2013-14	1	
7	2014-15	5	
कुल पैरे		14	

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास विद्युत प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2015 से 3/2016 तक का अंकेक्षण कार्य श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा श्री सतपाल सिंह, उप-निदेशक के पर्यावेक्षण में दिनांक 01.03.2017 से 15.03.2017 तक धर्मशाला मे किया गया। माह 03/2016 के लेखाओं का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं जांच हेतु प्रस्तुत किए गये अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत, अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2015 से 3/2016 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 वित्तीय स्थिति:-

दिनांक 31.03.16 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास विद्युत प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल की वित्तीय स्थिति एवं अन्तःशेष सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट “ख” में दिया गया है।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिए भुगतान की गई ₹393.78 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दिनांक 31.03.16 तक परिशिष्ट “ग” में दिये गए विवरणानुसार ₹39377875/- का भुगतान विभिन्न कार्यों के लिए (बाहरी विद्युतीकरण हेतु) किया गया था लेकिन न तो इन राशियों के विरुद्ध निष्पादित कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बिजली बोर्ड से प्राप्त किए गए और न ही बिजली बोर्ड को दी गई राशियों व उनके पास बची शेष अनुपयोगी राशियों को समायोजन करवाया गया। अतः आवश्यक कार्यवाही करते हुये बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्यों की वस्तुस्थिति सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जायें। वास्तविक स्थिति के अनुसार यदि कार्य निर्धारित प्राकलन मात्रा से कम निष्पादित किया गया हो तो निष्पादित कार्यों के दृष्टिगत उपयोग में न लाई गई राशियों को बिजली बोर्ड से शीघ्र प्राप्त करने अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अन्य कार्यों में समायोजित करने हेतु पग उठाए जाने सुनिश्चित करें।

6 संविदाकारों को दिये गए सुरक्षित अग्रिमों ₹14.99 लाख की वसूली बारे :-

हिमुडा द्वारा संविदाकारों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु परिशिष्ट “ग” के विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक सुरक्षित अग्रिमों के रूप में किए गए ₹1498935 के भुगतान की वसूली शेष थी जिनमे से कुछ राशियों को लम्बी अवधि से समायोजित नहीं किया गया था। अतः इन राशियों की वसूली शीघ्र संविदाकारों के बिलों से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 स्टाफ अग्रिम ₹0.34 लाख समायोजन हेतु शेष :-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि दिनांक 31.03.16 को मण्डल के लेखों के अनुसार स्टाफ अग्रिम के रूप में ₹33663 मण्डल के विभिन्न कर्मचारियों के पास समायोजन हेतु शेष थी। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट “घ” में दिया गया है। अतः मण्डल द्वारा इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 कार्य के सम्पूर्ण करने हेतु कार्य विस्तार की अनुमति प्रदान न करना एवं कार्य की लागत आबंटित राशि से बढ़ने बारे :-

Name of Work	C/o Female Barrack at Una (EI Work)
Estimated Cost	₹100087/-
Award amount	₹132425/- (32.30% above)
Award letter No.	No.Himuda/EDD/W-7/2008/7332-38 Dated 15.06.09
Justification	44.91 % above
Agreement No.	4 of 2009-10
Name of Contractor	Sh. Himat Raj Thakur
Measurement Books	106

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलित बिल की जांच पड़ताल के दौरान पाया कि लगभग सात साल व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य अभी प्रगति पर है एवं कार्य को पूरा करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी एवं कार्य की लागत भी आबंटित राशि से बढ़ गई है। अतः सक्षम अधिकारी से कार्य विस्तार एवं विचलन की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

9 मण्डल के वाहन संख्या HP-07-C-0030 की लोग बुक में 47 लीटर डीजल की कम मात्रा लेने बारे :-

(क) उक्त वाहन की लॉग बुक की जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 के माह 08/2015 में डीजल का अन्तिम शेष 33 लीटर था लेकिन आगामी माह 09/2015 में 28 लीटर डीजल अग्रेनित किया गया था जिस कारण से मण्डल को 5 लीटर डीजल के रूप में हानि हुई थी जिसकी क्षतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(ख) लॉग बुक की जांच में पाया कि उक्त वाहन दिनांक 30.07.15 से 31.07.15 को धर्मशाला से शिमला व शिमला स्थानीय में 690 किलोमीटर चली थी एवं इस यात्रा के लिए माह जुलाई 2015 में हि०प्र० सचिवालय द्वारा 85 लीटर डीजल की मात्रा गाड़ी में भरवाई गई थी। जांच में पाया कि माह 07/2015 में गाड़ी की औसत की गणना के दौरान उक्त 690 किलोमीटर को लिया गया था लेकिन डीजल की 85 लीटर डीजल की मात्रा के स्थान पर केवल 43 लीटर डीजल की मात्रा को ही लिया गया था अर्थात् औसत में 42 लीटर डीजल की मात्रा कम लेकर औसत को बढ़ाया गया था एवं 42 लीटर डीजल के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 42 लीटर डीजल की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

10 लघु आपति विवरणी:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

11 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-

(सतपाल सिंह)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०)एच(2) सी (15)(14) 228/03 खण्ड-3, 4705-4707,
दिनांक -27-07-17 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण

- निगम बिहार शिमला-171002
- पंजीकृत 3 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला, जिला काँगडा, शिमला-09 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620881

परिशिष्ट “क” अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित है।

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1 पैरा-10 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1 पैरा-7 (ए) अनिर्णीत

2 पैरा-7 (बी) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1 पैरा-10 (बी) अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1 पैरा-8 (क) अनिर्णीत

2 पैरा-8 (ख) अनिर्णीत

3 पैरा-8 (ग) अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1 पैरा-8 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1 पैरा-8 निर्णीत (वाँछित अभिलेखों की जाँच के पश्चात पैरे का समायोजन कर दिया)

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1 पैरा-9 अनिर्णीत

2 पैरा-10 निर्णीत (अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1 पैरा-4 निर्णीत (पैरा वर्तमान में पुनः प्रारूपित कर दिया गया)

2 पैरा-4.1 अनिर्णीत

3 पैरा-5 निर्णीत (पैरा वर्तमान में पुनः प्रारूपित कर दिया गया)

4 पैरा-6 अनिर्णीत

5 पैरा-7 निर्णीत (पैरा वर्तमान में पुनः प्रारूपित कर दिया गया)

6 पैरा-8 अनिर्णीत

7 पैरा-9 अनिर्णीत

8 पैरा-10 निर्णीत (अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

9	पैरा-11	अनिर्णीत	
10	पैरा-12 (क) (ख)	निर्णीत	(₹3087 की वसूली रसीद संख्या 0133962 दिनांक 08.03.17 द्वारा कर ली गई है, अतः पुष्टि के उपरान्त पैर का समायोजन कर दिया)